№ 003719

संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

(ऐक्ट 21, 1860)

संख्या 515 वर्ष 2003-2004

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि अपूर्वा टेक्नोफेयर सोसाइटी

.....

.....

.....

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथोपरि निबन्धित हुआ/हुई।

आज तारीख 22/8/03 मास अगस्त वर्ष दो हजार तीन में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया।

20.09.16
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Praveen Kumar
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

22.8.03

विनय बास्ते, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना।

बि०सम्मु० (निबन्धन)।—[]—10,000—12-8-2000—पी० एस० सिंह

अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी

का

नियमावली

1. परिभाषा :-
 (क) संस्था से अभिप्राय है - 'अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी'
 (ख) अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी से अभिप्राय है - एन.आई.ओ.एस. मोहल्ला टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट, समस्तीपुर।
 (ग) कार्यकारिणी से अभिप्राय है - अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष
 (घ) कार्यकारिणी समिति से अभिप्राय है - कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारीगण कार्यालय जिनपर संस्था का कार्यभार अगले प्रावधान हेतु सौंपा गया है।
 (ङ) वर्ष से अभिप्राय है - पहली जनवरी से एकतीस दिसम्बर तक।
 (च) वित्तीय वर्ष से अभिप्राय है - पहली अप्रैल से एकतीस मार्च तक।
2. संस्था का नाम :- 'अपूर्वा वेलफेयर सोसाइटी' होगा।
3. निबंधित कार्यालय :- संस्था का निबंधित कार्यालय स्थाई रूप से मुहल्ला काजीपुर, डाकघर प्रभात डाकघर, समस्तीपुर, थाना -नगर थाना, समस्तीपुर, जिला-समस्तीपुर (बिहार) में होगा। आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थानान्तरित किया जा सकता है।
4. कार्यक्षेत्र :- संपूर्ण भारत
5. संस्था का स्वरूप व लक्षण :- संस्था अराजनैतिक, गैर लाभप्रद एवं गैर सांप्रदायिक संगठनों संस्था है जो सोसाइटी अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निबंधित होगी।
6. संस्था का मुख्य उद्देश्य :- सूचि पत्र के कॉलम (4) में उल्लेखित है।
7. सदस्यता :-
 कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वे संस्था के सदस्य बन सकते है। संस्था के कार्यक्षेत्र में रहता हो, तथा संस्था के नियम एवं उद्देश्य का पालन करते हो, वे भी संस्था के सदस्य बन सकते है सदस्य बनने के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन करना होगा, संस्था कार्यकारिणी के निर्णय के अनुसार ही सदस्य मनोनीत किया जायेगा। समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी प्राप्त आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकती है।
8. सदस्यता शुल्क :-
 (क) प्रवेश शुल्क - 51/- रुपये
 (ख) मासिक शुल्क - 11/- रुपये
 (ग) सहयोगी सदस्य - 51/- रुपये
 (घ) आजीवन सदस्य - 2525/- रुपये या इससे अधिक राशि जमा करने पर कोई भी सदस्य बन सकते है।
9. सदस्य के प्रकार :- सदस्य तीन प्रकार के होंगे:-
 (क) आजीवन सदस्य - संस्था के संस्थापक सदस्य के अलावे भी अन्यकोई व्यक्ति, संस्था भी प्रमुख व्यक्ति एवं कोषाध्यक्ष की सलाह से, वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। कोई भी व्यक्ति या सदस्य 2525/- रुपये जमा करने पर ही संस्था के आजीवन सदस्य बन सकते है।
 (ख) सहायक सदस्य :- इस श्रेणि के सदस्य कार्यकारिणी समिति के द्वारा मनोनयन किये जायेंगे, जोकि संस्था के विकास एवं प्रगति में समय-समय पर सहायक होंगे।

30.09.26
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

(ग) साधारण सदस्य :- कोई भी जो संस्था के उद्देश्य से सहमत हो, और प्रवेश शुल्क 51/- रुपये, वार्षिक शुल्क 11/- रुपये देने संस्था के साधारण सदस्य बन सकते हैं ।

10. सदस्यता की समाप्ति :-
(क) त्यागपत्र देने पर
(ख) मृत्यु तथा पागल होने पर
(ग) न्यायालय द्वारा दंडित होने पर
(घ) लगातार तीन माह तक सदस्यता शुल्क नहीं जमा करने पर
(ङ) लगातार तीन बैठकों में भाग नहीं लेने पर
(च) संस्था के विधिवत् एवं उचितों का अनुपालन नहीं करने पर
(छ) अविदयमान घोषित होने पर

11. कार्यकारिणी समिति का गठन :-
कार्यकारिणी समिति कुल सदस्यों की होगी, जिसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, एक एक कोषाध्यक्ष तथा शेष चार सदस्य होंगे । आवश्यकतानुसार पदाधिकारी एवं सदस्य बढ़ाये जा सकते हैं ।

12. कार्यकारिणी समिति का चुनाव :-
(क) कार्यकारिणी समिति का चुनाव साधारण के 3/5 सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान पर चुनाव किया जायेगा ।
(ख) किसी आपातकाल कार्यकारिणी समिति का गठन पर रोक होने पर शेष अवधि के लिए इस नियम पर आधारित के किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जायेगा लेकिन आगामी साधारण की बैठक में विधिवत् मनोनयन की जानी होगी ।

13. कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल :-
कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

14. कार्यकारिणी समिति का बैठक :-
कार्यकारिणी समिति की बैठक वर्ष में तीन बार होगी । आवश्यक बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है ।

15. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-
(क) संस्था का चल एवं अचल संपत्ति समिति में निहित होगी ।
(ख) संस्था के विकास कार्य के लिए प्रस्ताव पारित होना ।
(ग) प्रांतीय एवं केन्द्र शासन के किसी भी विभाग में संपर्क ।
(घ) संस्था में पूर्ण समय देने वाले सदस्य को नियोक्ता कर्मी स्वीकृत करना ।
(ङ) संस्था के अतिरिक्त सुदृढ़ता के लिए दान एवं अनुदान लेना ।
(च) सदस्य बनने वाले व्यक्तियों को सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना ।

16. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-
(क) अध्यक्ष :-
1. संस्था की बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. संस्था के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखना ।

(ख) सचिव :-
1. संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
2. आवश्यकतानुसार वैतनिक, अवैतनिक पारिश्रमिक पर कार्यकर्ताओं को नियुक्ति करना तथा उसके लिए समिति की स्वीकृति से ऐसा नियम बनाना ।
3. आय व्यय का पूर्ण विवरण बैठक में प्रस्तुत करना ।

Principal
Techno Mission School
Semaliper, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

4. कानूनी सलाह का लिए अधिवक्ता की नियुक्ति करना ।
5. संस्था के कार्यालय संचालन हेतु प्रशासन का पूर्ण उपयोग करना ।
6. आवश्यकता पड़ने पर समिति के लिए पूर्ण अनुमति के साथ इसका अपने पास रखना ।
7. संस्था के कार्यकलाप चलाने हेतु विभिन्न इकाइ के कार्यकलाप सरकारी, गैर सरकारी स्थानों में संचालन करना ।
8. अवैतनिक कार्यकर्त्ताओं को कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर निलंबित करना ।
9. संस्था की शाखा एवं इकाई खोलने की अनुमति देना ।
10. सदस्य बनने वाले व्यक्तियों को सदस्यता स्वीकार या अस्वीकार करना ।

(ग) उपबंधन :-

1. आय-व्यय का लेखा रखना
2. लेखा का अंकेक्षण कराना
3. संस्था का लेखा किसी डाकघर या राष्ट्रीयकृत बैंक में संस्था के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से खोलना तथा किसी दो पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से राशि निकालना जिसमें सचिव का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।

17. आमसभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव करना ।
(ख) अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।
(ग) संस्था के आय-व्यय पर विचार करना तथा लेखा का अनुमोदन करना ।
(घ) अगले तीन वर्ष के लिए आय का संभव का प्राक्कलन तैयार करना ।
(ङ) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर विचार-विमर्श करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
(च) संस्था के नियमावली एवं स्मृति पत्र में संशोधन करना ।
(छ) विशेष अवसर के किसी भी विषय में केन्द्र तथा शाखा का संचालन करने हेतु प्रस्ताव पारित करना ।

18. आमसभा के सदस्य :-

(क) आमसभा में उपस्थित व्यक्ति 50% संरक्षक सदस्य एवं 50 प्रतिशत अवैतनिक कार्यकर्त्ता तथा साधारण सदस्य होंगे ।

(ख) आमसभा में वे व्यक्ति भाग लेंगे जो समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिये हों तथा संविधान मूल्यों के विचार में आस्था रखते हों ।

19. संस्था के शाखा के अधिकार एवं कर्तव्य :-

(क) संस्था की शाखा राज्य के किसी भी जिले तथा स्थानों में खोलना जहाँ आवश्यकता हो, के लिए आवश्यकता होगी ।
(ख) जिला स्तरीय शाखा के संचालन कार्यान्वयन के लिए एक उपसमिति होगी, जिसके आठ सदस्य होंगे ।
(ग) प्रत्येक महीने जिला स्तरीय पदाधिकारी की बैठक करना तथा प्रति त्रैमासिक मुख्यालय में भेजना ।
(घ) संस्था के कार्यकारिणी समिति का निदेशक के आदेशानुसार कार्य करना ।
(ङ) जिला स्तरीय कार्यालय का पूर्ण दायित्व जिला शाखा प्रभारी को होगा । आमसभा का पूर्ण दायित्व जिला प्रभारी का होगा ।
(च) दिये गये लक्ष्य का दुरुपयोग होने पर जिला शाखा प्रभारी को क्षतिपूर्ति अपनी निजी धन-अचल संपत्ति से पूर्ति करनी होगी ।

20. शाखा के विधि का आवंटन :-

विधि का आवंटन मुख्यालय के माध्यम से किया जायेगा ।

30.07.16

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

21. शाखा उप समिति के गठन एवं अधिकार तथा कर्तव्य :-

(क) शाखा उपसमिति के सात सदस्य होंगे । ये सदस्य जिला स्तरीय सभा के द्वारा सदस्यों का मनोनयन हेतु मुख्यालय में नाम भेजेंगे । मुख्यालय निदेशक के अनुमोदन के पश्चात जिला उपसमिति के सदस्य घोषित होंगे ।

(ख) उपसमिति के सदस्यों को अधिकार होगा कि जिले के सभी शाखाओं का निरीक्षण करना तथा उचित सलाह देना और और कार्यक्रम संचालन में सहयोग देना ।

(ग) जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करना ।

(घ) समिति के सदस्यगण पूर्ण अवैतनिक होंगे ।

(ङ) समिति के वही सदस्य मान्य होंगे जो विचार एवं व्यवहार से समाजिक होंगे ।

22. संस्था की इकाई :-

संस्था की इकाई बिहार के किसी भी जिले में खोली जा सकती है, जिसकी पूर्ण प्रशासन संस्था के प्रधान कार्यालय द्वारा किया जायेगा । इसमें किसी प्रकार की समिति गठित नहीं की जायेगी कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार संस्था के निदेशक कार्य करेंगे । चाहे की संस्था की प्रकार की होगी । (शाखा-2) सोसे मुख्यालय द्वारा इकाई स्थापित संस्था के नियमावली के कंडिका 15 में शाखा को दी गई अधिकारों का इसे इकाईयों के लिए निरसन माना जायेगा ।

23. बैठकें :-

(क) समिति की बैठक आवश्यकतानुसार जभी भी बुलाई जा सकती है, किन्तु वर्ष में कम से कम तीन बार आवश्यक होगी ।

(ख) वार्षिक आमसभा की बैठक वित्तीय वर्ष मार्च में होगी, विशेष कार्य हेतु कभी भी बुलाई जा सकती है।

(ग) अध्यक्ष 1/3 सदस्यों को लिखित मांग पर निदेशक को एक माह के अन्दर किसी भी विषय पर विशेष हेतु साधारण आमसभा की बैठक बुलानी होगी, अगर उक्त अवधि तक निदेशक बैठक का आयोजन करते हैं तो अध्यक्ष एवं आवेदकों को अधिकार होगा कि उक्त अवधि के बाद आवेदन में लिखित विषय के विचार हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं जिसकी सूचना सभी सदस्यों को लिखित देनी होगी।

(घ) समिति की बैठक की सूचना सात दिन पूर्व तथा आपात्कालीन बैठक की सूचना 24 घंटे पूर्व देनी होगी।

(ङ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उस दिन की बैठक की अध्यक्षता कार्यकारिणी समिति के कोई भी सदस्य करेंगे।

24. कोरम :-

(क) किसी बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की 1/3 की होगी ।

(ख) निर्धारित समय के आधा घंटा बाद तक नहीं होने पर आमसभा एवं विशेष आमसभा की बैठक में कोरम की पूर्ति नहीं होने पर सभा स्थगित हो जायेगी। स्थगित होने पर कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।

25. आय का स्रोत :-

(क) प्रवेश शुल्क एवं मासिक शुल्क से

(ख) दान एवं चन्दा से

(ग) शैक्षणिक कार्यक्रमों से

(घ) सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा प्राप्त अनुदान से

(ङ) संस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से

(च) वार्षिक शुल्क से

30.09.22
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

26. निधि का अंकेक्षण :-
संस्था का आय व्यय का लेखा समुचित रूप से रखा जायेगा और प्रतिवर्ष आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक के द्वारा वार्षिक आय अंकेक्षित कराया जायेगा। नियंत्रण महानिरीक्षक अपने विवेक से संस्था का अंकेक्षण किसी चार्टर्ड एकाउंटेन्ट से करा सकते हैं जिसका शुल्क संस्था वहन करेगी।

27. पत्नी का निरीक्षण :-
संस्था का सभी बैंकों निर्बाधित कार्यालय में रहेगा। कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पत्नी, सोसा एक कार्यवाही पत्नी का निरीक्षण कर सकते हैं।

28. संस्था के स्मृति पत्र एवं नियमावली में संशोधन :-
संस्था के नियमावली एवं स्मृति पत्र में संशोधन आमसभा के द्वारा किया जायेगा। आम सभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित के पश्चात् संशोधन किया जायेगा संशोधन की सूचना नियंत्रण महानिरीक्षक, निबंधन विभाग, बिहार, पटना को भेज दी जायगी।

29. संस्था का विघटन :-
(क) संस्था का विघटन किसी आकस्मिक कारण पड़ने जैसे स्थिति में आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा लिये गये निर्णय के पश्चात् किया जायेगा।
(ख) संस्था की चल अचल संपत्ति की बिक्री कर संस्था का ऋण देय आदि यदि भुगतान कर दिया जायेगा। भुगतान के पश्चात जो भी संपत्ति बची रहेगी वह संपत्ति समान उद्देश्यवाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी।
(ग) संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार की अनुज्ञा प्राप्त करने के बाद किया जायेगा।

अमरकान्त लाल
अध्यक्ष

प्रफुल्ल चन्द्र
सचिव

रामजी साह
कोषाध्यक्ष

30.07.16
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

'अपूर्व वेलफेयर सोसाइटी'

का

स्मृति-पत्र

1. सोसाइटी का नाम : अपूर्व वेलफेयर सोसाइटी (रजि.)

2. सोसाइटी का रजिस्टर्ड कार्यालय : मकान - समस्तीपुर, डाकघर - जवाब डाकघर, समस्तीपुर, थाना - नया थाना, जिला - समस्तीपुर, राज्य - बिहार (भारत)।

3. कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. इस सोसाइटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

(क) ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास हेतु सभी आयु वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार की उपयोगी संस्थाओं की स्थापना कर उसका उचित एवं प्रशासन करना।

(ख) सभी स्तर विशेषकर निर्धन, हरिजन, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिला, बच्चे तथा वृद्ध का अज्ञान अभाव और शोषण से मुक्त कराना। उनकी स्वतंत्रता एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति सुनिश्चित करना, स्वास्थ्यकर तथा सहिष्णु समाज की स्थापना करने के साथ-साथ इनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना एवं सभी के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित करना।

(ग) ग्राम-विकास हेतु सड़क बनवाना, पीने के लिए शुद्धीकृत जलापूर्ति का प्रबन्ध करना, पर्यावरण एवं प्रदूषण से मुक्ति के लिए वृक्षारोपण एवं शौचालय आदि का निर्माण कराना।

(घ) वृद्ध आश्रमों की सहायता करना, गंदी बस्ती, प्रसूति केन्द्र, कुष्ठ रोगियों की सेवा एवं अनाथालय आदि की व्यवस्था करना।

(ङ) स्वयं [illegible] रोजगार की व्यवस्था करना, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना।

(च) इसके द्वारा के स्त्री, पुरुषों के लिए शुद्ध पर्यावरण, कृषि एवं खेती की शिक्षा देना, उनके लिए औषधालय, वाचनालय, पुस्तकालय एवं विभिन्न विषयों पर सेमिनार लगाना।

(छ) संस्थान अपने उद्देश्य सिद्ध में अन्य जानकार लोगों से अथवा अन्य संस्थाओं से शिक्षण प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर सकती है। साथ ही सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं से दान, अंश या आहार आदि सशर्त अथवा बिना शर्त के ग्रहण करेगी।

(ज) बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना, पर्यावरण को शुद्ध करने के साथ-साथ प्राकृतिक विपदाओं में लोगों को सहायता देना तथा समाज में व्याप्त नशाखोरी, अशिक्षा आदि को दूर करना तथा मानव संसाधन का मानव हित में उपयोग करना।

(झ) व्यावसायिक शिक्षा - इसके लिए तकनीकी/प्रबंधन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जैसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, हस्तकरघा आदि का प्रशिक्षण देना आदि।

30.09.16

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

3. निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा इत्यादि नीचे दिया गया है वर्तमान कार्यकारणी अवधि के सदस्य है जिनपर संस्था के विकासकुमार प्रबंध का भार सौंपा गया है :-

क्रम सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1.	श्री अमरकान्त लाल	स्व० दीनू लाल	अध्यक्ष	कारीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
2.	श्री प्रभुनाथ पोद्दार	स्व० दुर्गेश्वर लाल	सचिव	दलसिंहसराय, समस्तीपुर	शिक्षण
3.	श्री राजनी लाल	स्व० गिरधू लाल	कोषाध्यक्ष	कारीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
4.	श्रीमति रेखा कुमारी	पति- श्री मणिकान्त झा	सदस्य	एचार्क कालोनी, समस्तीपुर	निजी व्यवसाय
5.	श्री अमरेन्द्र चौधरी 'विमल'	स्व० शिवनन्दन चौधरी	सदस्य	कारीपुर, समस्तीपुर	अधिवक्ता
6.	श्रीमति रोशन कर्ण	पति-श्री सुरेश कुमार कर्ण	सदस्य	कारीपुर, समस्तीपुर	शिक्षण
7.	श्री राकेश कुमार पोद्दार	श्री चन्द्रभूषण पोद्दार	सदस्य	कारीपुर, समस्तीपुर	निजी व्यवसाय

Principal Seal

20.09.26
Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

4. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पिता/पति का नाम, पता, पद एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। वर्तमान स्मृति पत्र के अनुसार संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत नियंत्रण के आधीन है :-

क्र०	नाम, पिता/पति का नाम	पता	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री अमरकान्त झा स्व० देवेन्द्र झा	कालीपुर, समस्तीपुर	अध्यक्ष	
2.	श्री इन्द्रजीत पासवान स्व० दुर्गेश्वर पासवान	दलसिंहसराय, समस्तीपुर	सचिव	
3.	श्री राजीव रंजन स्व० दिनेश साह	कालीपुर, समस्तीपुर	कोषाध्यक्ष	
4.	श्रीमति रश्मि कुमारी पति- श्री भगवान दास	पंजाबी कॉलोनी, समस्तीपुर	सदस्य	
5.	श्री अजय चौधरी 'विमल' स्व० शिवनन्दन चौधरी	कालीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	
6.	श्रीमति रंजिता कर्ण पति-श्री सुशील कुमार कर्ण	कालीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	
7.	श्री राजेश कुमार पोद्दार श्री चन्द्रभूषण पोद्दार	बजरीपुर, समस्तीपुर	सदस्य	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त व्यक्ति 'अपूर्व मोटरसेवर सोसाइटी' के पदाधिकारी एवं सदस्य हैं। [illegible] ने पहचाना है जिन्होंने मेरे सामने हस्ताक्षर किया है।

हस्ताक्षर अधिकृताधिकारी

Principal
Techno Mission School
Samastipur, Bihar

Poonam Kumari
Manager
Techno Mission School
Samastipur, Bihar